मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय

अधिसूचना

15 जून 1968

संख्या-361-रा-भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल राज्य के काम-काज के संबंध में सेवा के लिये नियुक्त सरकारी सेवकों के देवनागरी लिपि में हिन्दी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के विषय में निम्न नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ-यह नियमावली, बिहार सरकारी सेवक (हिन्दी परीक्षा) नियमावली, 1968 कहलाएगी।

2. चतुर्थवर्गीय सेवक से भिन्न हरेक सरकारी सेवक को, जिसे अपने कर्त्तव्य संपादन के क्रम में लिखने-पढ़ने की जरूरत पड़ती है, नियुक्ति से एक वर्ष के भीतर, देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने-पढ़ने की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा, यदि वह हिन्दी के साथ प्रवेशिका परीक्षा में, अथवा हिन्दी की किसी ऐसी परीक्षा में, जिसे राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रवेशिका परीक्षा के समकक्ष मान्यता मिली हो, उत्तीर्ण नहीं है। इस नियमावली के नियम 3 के अधीन देवनागरी लिपि में हिन्दी-टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके सरकारी सेवक के लिये इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं होगा।

3. हरेक सरकारी सेवक को, जिसकी नियुक्ति ऐसे पद पर हुई है, जहां उसे अपने कर्त्तव्य-सम्पादन के क्रम में टिप्पणी लिखना और प्रारूप तैयार करना पड़ता है, जिसमें रिपार्ट आदि भी शामिल है, देवनागरी लिपि में हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा में, उस पद पर नियुक्ति से एक वर्ष के भीतर, उत्तीर्ण होना होगा। जो सरकारी सेवक सरकारी संकल्प संख्या-13632, तारीख 11 अक्टूबर 1961 के अधीन विहित और केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा संचालित हिन्दी की विभागीय परीक्षा में उच्च या निम्न स्तर से उत्तीर्ण हो चुके हैं उनके लिये इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अपेक्षित न होगा।

4. मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय, सचिवालय विभागों और संलग्न कार्यालयों के लिये नियम 2 और 3 में उल्लिखित परीक्षाएं संचालित करेगा। प्रमंडल आयुक्त अपने-अपने प्रमंडल में अवस्थित कार्यालयों के लिये देवनागरी लिपि में हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा संचालित करेंगे, किन्तु देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने-पढ़ने की परीक्षा प्रत्येक कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष ही संचालित करेंगे। हिन्दी परीक्षाएं संचालित करने के लिये सक्षम पदाधिकारी ही प्राश्निकों और परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। हिन्दी परीक्षा तथा पाठ्यक्रम के संबंध में मंत्रिमंडल (राजभाषा) सचिवालय समय-समय पर निर्देश निर्गत कर सकेगा।

5. देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने-पढ़ने की परीक्षा अर्द्ध-वार्षिक होगी और साधारणतः प्रतिवर्ष मई और दिसम्बर महीने में हुआ करेगी। देवनागरी लिपि में हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा त्रैमासिक होगी और साधारणतः प्रतिवर्ष मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में होगी। विशेष परिस्थितियों में परीक्षा संचालित करने वाले प्राधिकारी, लिखित उल्लेख कर, ऊपर निर्दिष्ट महीनों से भिन्न महीने में भी परीक्षा ले सकेगा।

6. इस नियमावली के नियम 2 और 3 मे विहित प्रत्येक परीक्षा के लिये 100 (एक सौ) अंको का केवल एक पत्र होगा। देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने-पढ़ने की परीक्षा के लिये उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा और देवनागरी लिपि में हिन्दी-टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा के लिये 40 प्रतिशत।

7. जिन सरकारी सेवक को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने-पढ़ने की परीक्षा या देवनागरी लिपि में हिन्दी टिप्पण और प्रारूपण की परीक्षा, अथवा दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना है, उसे तबतक न तो वेतन-वृद्धि दी जायेगी न सम्पुष्ट किया जायगा, न दक्षतारोक ही पार करने दिया जायगा, जबतक वह अपेक्षित हिन्दी परीक्षा या परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो जाए।

8. वेतन-वृद्धि की रोक संचयात्मक प्रभाव नहीं होगा। संबद्ध सरकारी सेवक अपेक्षित परीक्षा या परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाने के बाद, जिस अंतिम परीक्षा में वह सम्मिलित और उत्तीर्ण हुआ हो उस परीक्षा की तारीख के बाद पड़नेवाली तारीख से कालमान के उस प्रथम तारीख से वेतन पायेगा जिसका वह हकदार होगा, यदि इस नियमावली के नियम 7 के अधीन उसका वेतन वृद्धि (या) रोक दी गयी नहीं होती, रोकी हुई वेतन-वृद्धि के बकाये भुगतान नहीं दिया जाएगा।

9. निरसन और व्यावृत्ति-यह नियमावली, इसके प्रारूप से ठीक पूर्व लागू किसी भी समरूप नियमावली या आदेश का वहां तक अवक्रमण करेगी। जहां तक वह इसके द्वारा प्रकाशित नियमावली के प्रतिकूल हो।

10. परन्तु, इस प्रकार अवक्रमित नियमावली या आदेश के अधीन दिये गये आदेश या किये गये कार्य इस नियमावली के समरूप उपबंधों के अधीन दिये गये या किये गये समझे जायेंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
केशरी किशोर शरण,
विशेष पदाधिकारी एवं विशेष सचिव।